


॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक ३२५५ / १२-१, दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी २६ /२०२०

RoW (Right of Way) Certificate

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के अन्तर्गत बद्दीनाथ वन प्रभाग में चमोली/नन्दप्रयाग/पश्चिमी पिण्डर रेंज के अन्तर्गत एन०एच०/एस.एच०/डी०एम०आर० नन्दप्रयाग कण्डाई पुल लुनतरा कुरुड़ घाट भेंटी तथा नारायणबगड़ परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग के ७२.८० किमी० एवं ०.४१६ है० वन भूमि में आष्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलायस जियो लि० प्रथम तल जी०एम०एस० रोड़, निरंजनपुर, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।


प्रमाणित किया जाता है कि विषयक परियोजना का निर्माण प्रस्तावनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत RoW(Right of Way) के अन्तर्गत ओ०एफ०सी० केबिल मोटर मार्ग के किनारे बिछायी जानी प्रस्तावित है। नन्दप्रयाग से कण्डाई पुल तक की स्वीकृति पूर्व में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक जी०आई० २४/७(१)-२०००-६००/९९ दिनांक २२.१२.२००० एवं घाट थराली मोटर मार्ग में घाट से भेंटी तक (किमी० ०१ से किमी० ११.२५०) उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० जी०आई० ३८१/१४-२-७३-६२८/१९९१ दिनांक २७.०१.१९९४, थिरपाक काण्डाई मोटर मार्ग हेतु भारत सरकार की पत्र सं० ८बी/यूसीपी/०६/२७१/२०००/एफसी/१५४४ दिनांक १८.०१.२००५ कुरुड़ माखणी मोटर मार्ग की लम्बाई ४.७० किमी० हेतु उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० जी०आई० २४२५/७-१-२०१०-६००(२७७५)२००९ दिनांक ३०.१०.२०१० एवं नारायणबगड़ परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग की स्वीकृति पूर्व में भारत सरकार के आदेश सं० ८बी/यू०सी०पी०/०६/८५/२००४/ एफ०सी०/९६० दिनांक २५.१०.२००४ से प्राप्त है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड फॉरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरानगर, देहरादून।
- २- प्रबन्धक, रिलायन्स टेलिफोन लि०, जी०एम०एस०रोड़, देहरादून।


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।